



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 263 राँची, सोमवार, 4 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
25 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

18 सितम्बर, 2024

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत संचालित "सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना" से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर कक्षा-8 की नामांकित बालिकाओं के आच्छादन की स्वीकृति।

ज्ञापांक-05/म0स०/रा0यो0 (SBPKSY)-328/2023-2263--विभागीय संकल्प सं0-2033, दिनांक- 05.09.2022 तथा अनुक्रमण में निर्गत विभागीय संकल्प सं0-344, दिनांक- 18.02.2023 एवं विभागीय संकल्प सं0-3217, दिनांक- 20.12.2023 द्वारा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य योजनान्तर्गत "सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना" क्रियान्वित है:-

- (क) महिला सशक्तिकरण ।
- (ख) बालिका शिक्षा पर जोर ।
- (ग) बाल विवाह प्रथा का अन्त ।

(घ) उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृत्ति को कम करना एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना ।

(ड) किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता ।

(च) किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना ।

2. उपर्युक्त संकल्पों के प्रावधानों के आलोक में योग्य बालिकाओं को निम्नवत् आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है:-

क्र० सं०	लाभक वर्ग	आर्थिक लाभ का राशि
1.	कक्षा 8 में नामांकित बालिका	रु0 2500/-
2.	कक्षा 9 में नामांकित बालिका	रु0 2500/-
3.	कक्षा 10 में नामांकित बालिका	रु0 5000/-
4.	कक्षा 11 में नामांकित बालिका	रु0 5000/-
5.	कक्षा 12 में नामांकित बालिका	रु0 5000/-
6.	18-19 वर्ष की आयु की बालिका को एक मुश्त अनुदान	रु0 20000/-

3. उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रावधानों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के बालिकाओंका राज्य के निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर कक्षा-8 तक नामांकन किया जाता है। सम्प्रति इन बालिकाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी बालिकाओं के आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा-8 में नामांकन से लेकर कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत एवं 18-19 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली अर्हताधारी बालिकाओं को भी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से आच्छादित किया जाना आवश्यक है ।

4. सम्यक विचारोपरान्त एतद् हेतु संकल्प सं0-2033, दिनांक- 05.09.2022 के कंडिका 2.3 (ii) को निम्नवत् अन्तः स्थापित किया जाता है:-

2.3 (ii) "इस योजना के तहत सरकारी/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित/महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा संचालित/National Child Labour Project (NCLP) के अन्तर्गत संचालित/झारखण्ड सरकार द्वारा प्रबंधित/अनुदानित विद्यालयों तथा योजना से संबंधित विभागीय संकल्प सं०-2033, दिनांक- 05.09.2022 के निर्गत होने के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर कक्षा-8 में नामांकन पश्चात् कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत एवं 18-19 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अनुमान्य आर्थिक सहायता राशि से अर्हताधारी बालिकाओं को आच्छादित किया जाएगा ।"

5. विभागीय संकल्प सं0-2033, दिनांक- 05.09.2022 के कंडिका-2.3 ix को निम्नवत् अन्तः स्थापित किय जाता है :-

2.3 ix"लाभार्थी बालिका के कंडिका-2.2 मे निर्दिष्ट कक्षा में नामांकन होने पर ही एवं इसका संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन के आधार पर लाभुक को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित पृष्ठभूमि के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों पर नामांकित बालिकाओं का सत्यापन भी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य/ प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा किया जायेगा ।"

6. योजनान्तर्गत पूर्व के निर्गत राज्यादेश इस हद तक संशोधित होंगे ।

7. एतद् संशोधन संकल्प निर्गत होने के तिथि से प्रभावी होंगे ।

8. दिनांक-06.09.2024 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् के बैठक के मद संख्या-18 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव।
